

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
उपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०५/०३/१९

विषय :- मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-74/18-19, दिनांक 01.03.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 18 - चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796180545	22.67892

आवंटित राशि – ₹ बाईस लाख सड़सठ हजार आठ सौ बेरानबे मात्र।


- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट उपबंध रु. 11600.00 लाख (एक सौ सोलह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तों वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। यह आवंटनादेश W.P.(C) No-3332/2016 तथा अवमाननावाद संख्या-117/2018 में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 11.01.2019 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में भू-अर्जन मुआवजा का भुगतान हेतु निर्गत किया जाता है।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव(आर.एस. तिगांगा)
अभियंता प्रमुख-2

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।



 (अरुण कुमार सिंह) ५.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 201

रॉची, दिनांक :— ०५/०३/१९

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/सिमडेगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



 (अरुण कुमार सिंह) ५.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 201

रॉची, दिनांक :— ०५/०३/१९


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, अपर मुख्य सचिव कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


 (राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार द्वृब)
 विशेष सचिव


 (आर.एस. तिवारी)
 अभियंता प्रमुख-2


 (अरुण कुमार सिंह) ५.३.१९
 अपर मुख्य सचिव

पत्रांक – २०।

/चैंची, दिनांक – ०५/०८/१९

परिशिष्ट – १

मांग संख्या-५०-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – ४७०२ लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष – ७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष – १८-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०८४७०२००७९६१८०५४५

संशोधित बजट उपबंध (वर्ष २०१८-१९) रु. ११६००.०० लाख (एक सौ चालह करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तारफ	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में आवंतन			On-line Allocation Access No.	अन्त्युक्ति	
					प्रसारा	सारि		पूर्व का	वर्तमान	कुल आवंतन	आवंतन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमड़गा (SDGMR001)	सिमड़गा	कोलेबीरा	लघु सिंचाई प्रक्षेत्र रोची के लघु सिंचाई प्रमंडल सिमड़गा के अधीन सिमड़गा लिते के कोलेबीरा प्रखण्ड अंतर्गत रामजड़ी नदीम सिंचाई योजना के भू-अर्जन मुआवता भुगतान हेतु।	74/18-19 dt 01.03.19 Online AA-2270/01.03.19	34.84629	12.16737	0.00000	22.67892	22.67892	99253	आवंतनादेश W.P.(C) No-3332/2016 तथा अवमाननावाद संख्या-117 / 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ज्ञारखण्ड, रोची द्वारा दिनांक 11.01.2019 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में भू-अर्जन मुआवता का भुगतान हेतु।	आवंतनादेश W.P.(C) No-3332/2016 तथा अवमाननावाद संख्या-117 / 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ज्ञारखण्ड, रोची द्वारा दिनांक 11.01.2019 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में भू-अर्जन मुआवता का भुगतान हेतु।
					कुल योग	34.84629	12.16737	0.00000	22.67892	22.67892			

आवंतित राशि – रे बाइस लाख सङ्स्थ हजार आठ सौ बेरानबे मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमी०)

(नेशा कुमार दुबी)
विशेष सचिव

(आदृप्रसू तिर्ना)
अभियंता प्रमुख-२

(अरुण कुमार सिंह)
अप्र मुख्य सचिव